संख्याः10/2020/344/61-2020-550/2019टी0सी0-1

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–258/सी0ई0ओ0-3-29/3-2019, दिनांक-16 मार्च, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यालय व्यय हेतु रू0—8.66 लाख (रूपये आठ लाख छियासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कर लिया जायेगा।

(5) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर/उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (Gem)/आई0टी0 टेण्डरिंग के माध्यम से किये जायेगा।

(9) उक्त मद के लेखाशीर्षक 105-05 में होने वाले व्यय का वहन शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(10) आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-00-07-मानदेय मद की सम्भावित बचतों से अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचन-00-08- कार्यालय व्यय के अंतर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-12-742/दस-19, दिनांक 31 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त:-

भवदीय,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्याः-10/2020/344(1)/61-2020-550/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग–3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2019-2020 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 07-मानदेय	2170.00	8.66	8.66	8.66	2161.34
योग:-	**2170.00**	**8.66**	**8.66**	8.66	2161.34

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 05-राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचन-00- 08-कार्यालय व्यय	0.01	8.67	8.66	8.66	8.67
योग:-	**0.01**	**8.67**	**8.66**	8.66	8.67

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री नीरज शेखर, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री अरूण जेटली, श्री संजय सेठ तथा श्रीमती तंजीन फातिमा के रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु राज्य सभा उप निर्वाचनों से सम्बन्धित लम्बित देयकों के भुगतान हेतु प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय के निवर्तन पर बजट आवंटन हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या: आरई.763 /ई-12- 742, दिनांक 31 मार्च, 2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

संख्या:-10/2020/344/61-2020-550/2019टी0सी0-1, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है